



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिनभर वॉर रूम तथा चुनाव मैनेजमेंट टीम के साथ मतदान का नियमित फीड बैक लिया और सातों सीट जीतने का दावा किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा, सातों सीटों पर जीतेगी भाजपा

विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी टीम, पार्टी पदाधिकारियों व प्रभारियों से मतदान का पल-पल फीडबैक लेते रहे

जयपुर, 13 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान की सातों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। शर्मा ने कहा कि, चुनाव प्रचार के दौरान जिस क्षेत्र में भी गए, वहां की जनता का अपार जन समर्थन भाजपा के प्रति दिखा। चुनाव में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है और जनता ने 11 महीने की सरकार में हुए जनकल्याण के कार्यों के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। राजस्थान की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर्वाधिक है और इसका फायदा इन चुनावों में भाजपा को मिला है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम को मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि

- उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान वे जिस क्षेत्र में गये, जनता का अपार जन समर्थन भाजपा के पक्ष में दिखा।
- सात सीटों के उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने हर सीट पर दो-दो चुनाव सभाएँ कीं।

मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती एवं विकास के लिए जागरूकता से मतदान कर अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। राजस्थान की जनता समझदार है और उसने सोच-समझकर मतदान किया है। जनता को पता है कि उसका विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। इसलिए उनका वोट डबल इंजन की सरकार को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, इस चुनाव में महिला, युवा, किसान, गरीब सहित,

हर वर्ग का समर्थन भाजपा के साथ था। भाजपा की सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं को भागीदारी ने इस बात को साबित भी किया। चौरासी की सभा तो ऐतिहासिक थी, जिसमें आदिवासी भाईयों ने हजारों की संख्या में आकर भाजपा के पक्ष में खड़े होकर विभाजनकारी ऐजेंडे को करारा जवाब दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे दिन मतदान पर नजर रखी। उन्होंने उपचुनाव वाली सीटों, सलूम्बर, चौरासी, झुंझुनू, खींवर, दोसा,

रामगढ़ एवं देवली-उनियारा में जिम्मेदारी निभा रही चुनावी टीमों, पार्टी पदाधिकारियों व प्रभारियों से मतदान का पल-पल का फीडबैक लिया। उन्होंने प्रदेश स्तर पर चुनाव मैनेजमेंट टीम और वॉररूम की टीम को भी आवश्यक निर्देश दिए और कड़ी मेहनत करने वाले समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान सभी मोदी जी को पता है कि महाराष्ट्र सरकार "अडानी सरकार" थी। कांग्रेस सांसद वर्धा गायकवाड़ ने "एक्स" पर पूछा, "गौतम अडानी की अधिकारिता (लोकस स्टेन्डी) क्या थी? वे सरकार के गठन से संबंधित मीटिंगों में क्यों बैठ रहे थे? उन्होंने आगे कहा, "मैं फिर दोहरा रही हूँ: एम. वी. ए. सरकार केवल अडानी की खारिज गिरावटी गई थी, जिससे वे धारावी तथा अन्य वो प्रोजेक्ट्स प्राप्त कर सके, जो वे चाहते थे।" शिवसेना (यू. बी. टी.) की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा: "क्या गौतम अडानी भाजपा के अधिकृत वार्ताकार हैं? क्या उन्हें गठबंधन "फिक्स" करने की जिम्मेदारी दी हुई है? एक व्यवसायी महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भाजपा

‘भाजपा कभी ... एक दूसरे पर भारी संदेह है, महाराष्ट्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) और चेतावनी दी कि यदि धारा 370 को रद्द किया गया तो देश में खून की नदियाँ बहेगी। धारा 370 को रद्द किए हुए छः साल बीत गए हैं और किसी ने एक पत्थर उठाने की हिम्मत भी नहीं की है। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी को, जे. एण्ड के. में आतंकवाद खत्म करने के लिए यह सख्त निर्णय लेने का श्रेय दिया।

शाह ने कहा, भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था। सन् 2019 में राहुल गाँधी भाजपा का उपहास करते हुए कहते थे, "मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तिथि नहीं बताएंगे।" तथापि, महाराष्ट्र तथा देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना और पांच साल के अंदर हम कस जात गए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। शाह ने कहा, राहुल गाँधी और शरद पवार, जिन्होंने भाजपा का मज़ाक बनाया, अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं।

नयी दिल्ली, 13 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर जाएंगे जहाँ वह 18 एवं 19 नवंबर को रियो डि जनेरा में 19वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने आज यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 16 नवंबर को तीन देशों, ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा पर निकलेंगे। ब्राजील की यह यात्रा 18-19 नवंबर को होने वाले 19वें

प्रधानमंत्री ब्राजील के साथ नाइजीरिया और गुयाना की भी यात्रा करेंगे।

जी20 शिखर सम्मेलन के लिए है। मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) दम्पू रवि ने कहा, प्रधानमंत्री 16-17 नवंबर तक नाइजीरिया की राजकीय यात्रा करेंगे। यह यात्रा नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर हो रही है। यह प्रधानमंत्री की पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र की पहली यात्रा तथा यह 17 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी।

प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राईका को जमानत देने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि एस.ओ. जी. ने गत 29 अक्टूबर को रामपुरम राईका सहित बीस आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। इस प्रकरण में राईका के बेटे देवेश, बेटा शोभा और आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक मामले में एस.ओ. जी. ने दस मार्च को प्रकरण दर्ज किया था।

निचली अदालत ने वक्फ बोर्ड द्वारा अपील दायर करने में 15 दिन की देरी की तकनीकी कमी के चलते मामले को खारिज कर दिया था।

मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से वकील सहबान नकवी ने हाईकोर्ट के समक्ष पैरवी की। हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए निचली अदालत को आदेश दिये कि तथ्यों के आधार पर मामले को फिर से सुने।

पैरवी कर रहे वकील सहबान नकवी ने हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि उसके मुंबईकाल ने जिला न्यायालय के समक्ष रिज्यू पिटाशन ही दायर की थी, जिसे भी अदालत ने दो हफ्ते बाद खारिज कर दिया था। वक्फ बोर्ड ने इन दोनों आदेशों के

निर्दलीय नरेश मीणा के एस.डी.एम. को थप्पड़ मारने का मामला उलझा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा संघ ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग की

टोंक, 13 नवम्बर। जिले की देवली-उनियारा विधानसभा सीट उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एस.डी.एम. अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना से प्रशासन में भारी नाराजगी है।

घटनाक्रम के अनुसार, समरावता और बीसलपुर गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन पिछली सरकार ने उन्हें देवली उपखंड में शामिल कर दिया। देवली उपखंड का मुख्यालय गांव से 95 किलोमीटर दूर है, जबकि उनियारा उपखंड मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे वे नाराज हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव को फिर से उनियारा में शामिल किया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया।

मतदान के बहिष्कार की खबर मिलने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाइश का प्रयास किया। मालपुरा के एस.डी.एम. अमित चौधरी भी गांव में मौजूद थे और स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंचे। समझाइश के दौरान, एस.डी.एम. और मीणा के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद नरेश मीणा ने तैश में आकर एस.डी.एम. को थप्पड़ मार दिया।

■ देवली-उनियारा सीट के समरावता व बीसलपुर के निवासी अपने गांव उनियारा उपखण्ड से देवली उपखण्ड में ट्रांसफर करने के विरोध में चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे।

■ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का आरोप है कि मालपुरा एस.डी.एम. अमित चौधरी बहिष्कार को विफल करने के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षिका को वोट डालने के लिये धमका रहे थे। तीखी बहस के बाद मीणा ने तैश में आकर थप्पड़ जड़ दिया।

घटना के बाद, नरेश मीणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे चार घंटे से ग्रामीणों के साथ बैठे थे और उनकी मांग का समर्थन कर रहे थे। मीणा ने आरोप लगाया कि एस.डी.एम. ने गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षिका को धमकाया कि यदि उन्होंने मतदान नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। मीणा का कहना है कि एस.डी.एम. की इस धमकी से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और इसी

कारण उन्होंने एस.डी.एम. को थप्पड़ मारकर जवाब दिया।

इसके अलावा, नरेश मीणा ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आयोग ने साक्षिण के तहत, उनकी चुनावी पहचान को कमजोर करने के लिए मशीन में उनके चुनाव चिह्न को हल्का कर दिया, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही है और उनके वोट प्रभावित हो रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सोम्या झा ने इस मामले में कहा कि एरिया मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समरावता गांव के ग्रामीणों की मांग का समाधान चुनाव के बाद किया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के कारण अभी इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा, ताकि गांव को उनियारा तहसील में वापस जोड़ा जा सके।

इस घटना के बाद टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और कानूनी कार्यवाई की जाएगी। सांगवान ने बताया कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है और मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी तरफ, राजस्थान प्रशासनिक सेवा संघ ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जापन दिया तथा इस घटना की कड़ी निंदा की है।

एक दूसरे पर भारी संदेह है, महाराष्ट्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के उल्लेख का उनका निर्णय भाजपा के लिये भी एक चेतावनी भरा संकेत प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस तथा शिवसेना (यू.बी.टी.) ने इस पर तत्काल एवं तलख प्रतिक्रिया देते हुये कहा, "अब इस बात का सबूत मिल गया है कि महाराष्ट्र सरकार "अडानी सरकार" थी। कांग्रेस सांसद वर्धा गायकवाड़ ने "एक्स" पर पूछा, "गौतम अडानी की अधिकारिता (लोकस स्टेन्डी) क्या थी? वे सरकार के गठन से संबंधित मीटिंगों में क्यों बैठ रहे थे? उन्होंने आगे कहा, "मैं फिर दोहरा रही हूँ: एम. वी. ए. सरकार केवल अडानी की खारिज गिरावटी गई थी, जिससे वे धारावी तथा अन्य वो प्रोजेक्ट्स प्राप्त कर सके, जो वे चाहते थे।" शिवसेना (यू. बी. टी.) की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा: "क्या गौतम अडानी भाजपा के अधिकृत वार्ताकार हैं? क्या उन्हें गठबंधन "फिक्स" करने की जिम्मेदारी दी हुई है? एक व्यवसायी महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भाजपा

को सत्ता में लेने के लिए इतने उत्साह और तत्परता से काम क्यों कर रहा है?"

जहां भाजपा नेता देवेन्द्र फडनवीस ने पहले आरोप लगाया था कि 2019 में, भाजपा के साथ शरद पवार की बात हुई थी, वहीं यह पहला अवसर है, जब इन मीटिंगों में अडानी की मौजूदगी के जानकारी सामने आई है। इसलिए अजीत पवार के गेम प्लान को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है।

जहां महाराष्ट्र की राजनैतिक लड़ाई मूलतः एम. वी. ए. और "महायुति" गठबंधन के पार्टनरों के बीच है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों गठबंधनों के सभी छह घटकों में से प्रत्येक घटक एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। जहां प्रत्येक गठबंधन के पार्टनर जीतने के लिए लड़ रहे हैं, पर इनमें से कोई घटक दल यह नहीं चाहता कि उसके गठबंधन के अन्य पार्टनर मजबूत स्थिति में आ जाएं। जहां अजित पवार की पत्न. सी. पी. केवल 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तथा उस गठबंधन

की पार्टनर शिन्दे सेना 80 सीटों पर तथा भाजपा (148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।) इसलिए अजित पवार समय-समय पर भाजपा के मुकाबले अपने अधिकार के लिए दृढ़ता प्रदर्शित करते रहते हैं। अभी हाल ही में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे "बंदेगो तो कटेंगे" का सार्वजनिक रूप से विरोध भी किया था। जाहिर है, दोनों गठबंधनों के घटक दलों की नजरें चुनाव के बाद के परिदृश्य पर लगी हुई हैं।

खींवर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रतिष्ठत 69.29 दर्ज किया है। गुरुवार को मतदान दस्तावेजों की संवीक्षा के बाद ही अंतिम आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि खींवर में 75.69, रामगढ़ में 75.27, चौरासी में 74.1, सलूम्बर में 67.01, झुंझुनू में 65.8, देवली-उनियारा में 65.1 और दोसा में 62.1 फीसदी मतदान हुआ।

आवंटी के फ्लैट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आवंटियों के फ्लैट्स बेच सकता है और न उन्हें इसके उपयोग करने से रोक सकता है। बैंक बिल्डर की प्रॉपर्टी को बेचकर अपने लोन की वसूली कर सकता है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि प्रार्थी ने कोटा की आकृति लैंड कोन कंपनी के आवासीय प्रोजेक्ट श्रीनाथ ओएसिस में सितंबर, 2015 में 25 लाख रुपये में एक फ्लैट बुक कराया और उसकी कीमत का भुगतान कर दिया। उसने सेल डीड के जरिए फ्लैट का कब्जा भी ले लिया। वहीं, वर्ष 2023 में बैंक ने बिल्डिंग के बाहर एक नोटिस प्रस्था करते हुए कहा कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट को गिरवी रख बैंक से 15 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसे चुकाया नहीं है। ऐसे में प्रार्थी सहित अन्य फ्लैट्स को कब्जे में लिया जाएगा और उनका बेचान कर बैंक के लोन की वसूली की जाएगी।

बैंक को इस कार्यवाई को प्रार्थी सहित अन्य ने रंरा में चुनौती देते हुए कहा कि बैंक को बिल्डर को दिए गए लोन की वसूली आवंटियों से करने का अधिकार नहीं है। इसलिए बैंक की ओर से उनके फ्लैट्स के बेचान करने पर रोक लगाई जाए।

हाईकोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रही है, जबकि इसमें कई अन्य घोटाले भी हैं। कई मामलों में तो बिना काम किए ही भुगतान दिया गया है। कई मामलों में लोहे के पाइप के स्थान पर प्लास्टिक के पाइप लगाए गए हैं। हाल ही में, पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित अन्य के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। ऐसे में, इस मामले में ई.डी. को भी पक्षकार बनाया जाए।

मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने ई.डी. को पक्षकार बनाते हुए तथ्याक्त रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जमचित याचिका में कहा गया कि श्रीगणपति ट्यूबवैल और श्रीश्याम कृपा ट्यूबवैल कंपनी ने फर्जी पूर्णता प्रमाण पत्र के जरिए जल जलान मिशन में करीब नौ सौ करोड़ रुपये का भुगतान लिया है। बाद में ये प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। ऐसे में मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

हिरासत में मौत: दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करें

जयपुर, 13 नवंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, जयपुर और एस.पी. नागीर को निर्देश दिए हैं कि पुलिस हिरासत में बंदी की मौत के दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही, आयोग ने इन पुलिसकर्मियों को कर्तव्य पद से दूर करते हुए मामले की जांच उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवा कर मामले में की गई विभागीय कार्यवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं, आयोग ने मृतक सुनील कुमावत के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने को कहा है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने यह आदेश दिए। सुनवाई के दौरान, न्यायिक जांच रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश की गई, जिसमें सामने आया कि मृतक सुनील कुमावत के खिलाफ कुचामन सिटी में वर्ष 2021 में दुष्कर्म का मामला दर्ज

■ राज्य मानवाधिकार आयोग ने मृतक सुनील कुमावत के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के भी आदेश दिये।

हुआ था। वहीं 8 जनवरी, 2022 को उसे जिला अस्पताल, दोसा से एस.एम.एस. अस्पताल में रैफर किया गया था। इस दौरान एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई और एस.एम.एस. अस्पताल में पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया। न्यायिक जांच में यह भी बताया गया कि मृतक की मौत गला दबाने से हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गले पर दो चोटें बताई गईं। इसके अलावा, न्यायिक जांच में बंदी की मौत का जिम्मेदार कांस्टेबल इकबाल खां, कांस्टेबल राजुराम और धर्मी मीणा को बताया गया और इसमें परिवारी पक्ष के व्यक्ति शिवलाल, बाबूलाल और निजी वाहन चालक नदीम के साथ अपराधिक षडयंत्र बनाया गया। इस पर अदालत ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाई के आदेश देते हुए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने को कहा है।

कोचिंग सेंटर के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) "कैम्पूयम प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 का उल्लंघन माना जायेगा। इस सेन्ट्रल अथॉरिटी के पास दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के अधिकार हैं। इस कार्यवाहियों में जुर्माना करना, जवाबदाही सुनिश्चित करना तथा ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति भविष्य में न होने देना।

विभिन्न कोचिंग सेन्टरों द्वारा अपनाये जाने वाले अनुचित तरीकों, जिनमें विशेष रूप से विद्यार्थियों, आशार्थियों को एनरोलमेंट फीस वापस न करना शामिल है, से संबंधित अनेक शिकायतें नेशनल कन्स्यूमर हैल्पलाइन

आर.पी.एस. के पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पीटासीन अधिकारी पंकज कुमार काबरा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

जमानत अर्ज में कहा गया था कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और अब अनुसंधान बाकी नहीं है। इसके अलावा, वर लंबे समय से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को

में दर्ज पाई गई हैं। इन शिकायतों के बाद ही, एन. सी. एस. ने इन शिकायतों के समाधान के लिए मिशन-मोड पर यह अभियान छेड़ा है, ताकि प्रभावित विद्यार्थियों (1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के दौरान) को कुल 1.15 करोड़ रु. वापस कराये जा सकें। इन सारे रिफ्रिन्ड्स की प्रक्रिया, कानूनी कार्यवाही करने से पहले ही, उस समय तत्काल शुरू कर दी गई, जब पूरे देश में बिखरे प्रभावित विद्यार्थियों, जिन्होंने हैल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज की थीं, के मामले में विभाग ने हस्तक्षेप किया।

प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राईका को जमानत देने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि एस.ओ. जी. ने गत 29 अक्टूबर को रामपुरम राईका सहित बीस आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। इस प्रकरण में राईका के बेटे देवेश, बेटा शोभा और आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक मामले में एस.ओ. जी. ने दस मार्च को प्रकरण दर्ज किया था।

प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राईका को जमानत देने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि एस.ओ. जी. ने गत 29 अक्टूबर को रामपुरम राईका सहित बीस आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। इस प्रकरण में राईका के बेटे देवेश, बेटा शोभा और आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक मामले में एस.ओ. जी. ने दस मार्च को प्रकरण दर्ज किया था।

प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राईका को जमानत देने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि एस.ओ. जी. ने गत 29 अक्टूबर को रामपुरम राईका सहित बीस आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। इस प्रकरण में राईका के बेटे देवेश, बेटा शोभा और आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा सहित अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक मामले में एस.ओ. जी. ने दस मार्च को प्रकरण दर्ज किया था।

24 साल बाद निचली अदालत का फैसला पलटा हाईकोर्ट ने

निचली अदालत को, वक्फ बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामले में पुनः सुनवाई के आदेश दिये

जयपुर, 13 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें धौलपुर के अतिरिक्त जिलाध्यक्ष द्वारा वर्ष 1998 के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के 24 साल से भी अधिक पुराने आदेश को रद्द कर और निचली अदालत को वक्फ बोर्ड की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने से संबंधित इस मामले में पुनः सुनवाई करने के आदेश दिये हैं। इस मामले में वक्फ बोर्ड का आरोप है कि उसकी संपत्ति पर सुवा लाल द्वारा अतिक्रमण किया गया है। दरअसल इस मामले में वक्फ बोर्ड

की संपत्ति पर अतिक्रमण करने के खिलाफ बोर्ड ने भरतपुर स्थित संपदा-अधिकारी की अदालत में याचिका दायर कर रखी है, जिसे वर्ष 1987 में खारिज कर दिया गया था। परंतु बोर्ड को संपदा अधिकारी द्वारा तीन महीने बाद तक इस आदेश को पंजीकृत कॉपी नहीं दी गई। जब बोर्ड ने अतिरिक्त जिला न्यायालय के समक्ष अपील जारी की तो देर से अपील दायर करने की क्षमा मांगते हुए उसने अदालत को बताया गया था कि उसे समय पर आदेश की कॉपी नहीं दी गई थी। परंतु अतिरिक्त जिला न्यायालय ने वर्ष 1998 में बोर्ड की अपील 15 दिन की देरी से फाइल करने के आधार पर खारिज कर दी थी। मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से

जाना चाहिये था जबकि अदालत को बताया गया था कि बोर्ड को समय पर उसके खिलाफ दिये गये आदेश की कॉपी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ को 10 हजार

रुपये का भुगतान करे और पुनः निचली अदालत तथ्यों के आधार पर इस मामले की सुनवाई करे। अदालत ने बोर्ड को आदेश दिये हैं कि 15 दिन के अंदर अदालत में जमा कराये।

अपने पैरों पर ... (प्रथम पृष्ठ का शेष) करने के लिए अपने चाचा की प्रतिष्ठा का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह भी अजित पवार के गुट को निर्देश दिये थे कि वह 36 घंटे के अन्दर मराठी दैनिकों सहित, समाचार पत्रों में यह "डिसक्लेमर" प्रकाशित कराये कि एन.सी.पी. द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में "धड़ी" का प्रयोग करना अभी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपाकर दत्ता तथा उज्ज्वल भूयान की बैंच का यह आदेश अजित पवार के वकील बलबीर सिंह के इस आश्वासन के बाद दिया गया कि संदर्भित "डिसक्लेमर" निर्धारित समयावधि में प्रकाशित करा दिया जायेगा।

खिलाफ हाईकोर्ट में वर्ष 2000 में रिट याचिका दायर की थी। न्यायाधीश अनूप कुमार ढं ड ने अपने जिला न्यायालय में वर्ष 1998 में दिये आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को वक्फ बोर्ड की अपील को देरी से पेश किये जाने के कारण खारिज नहीं किया

खिलाफ हाईकोर्ट में वर्ष 2000 में रिट याचिका दायर की थी। न्यायाधीश अनूप कुमार ढं ड ने अपने जिला न्यायालय में वर्ष 1998 में दिये आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को वक्फ बोर्ड की अपील को देरी से पेश किये जाने के कारण खारिज नहीं किया